# Order Sheet (Subsequent)

2016/00035
CNR NUMBER

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

Number of Case A/28/Year 2024

कजूलाराम व अन्य Versus ढलाराम व अन्य

U/S - 212 R.T.A. 1955

| Date | Order with initials of Presiding Officer | Brief note of the |
| --- | --- | --- |
| | किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 हेतु आज्ञा दिनांक 08-06/04/24 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) जोधपुर | |
| 06/04/24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाल उप.। पत्रावली गत आदेशानुसार आज्ञा दिनांक 08/05/24 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) जोधपुर | |
| 08/05/24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाल उप.। वकुलाल की बहस प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 पर सुनी गई।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाल पर मनन किया गया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र नहीं मानने योग्य न होने एवं जायज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली के विरुद्ध | |

# Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक), जोधपुर

CNR NUMBER 2016/00035

Number of Case A/38/ Year 2024

कपूराराम व अन्य Versus दुलाराम व अन्य

U/s- 212 R.T.A. 1955

| Date | Order with initials of Presiding Officer | Brief note of compliance of the Order |
|---|---|---|
| | निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रैक) जोधपुर<br><br>कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)<br>सत्यमेव जयते<br>जोधपुर | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सीवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/38/2024 (GCMS No 2016/00035)

– : : अनवान् : : –

**प्रार्थीगण :–**

1. कपूराराम पुत्र श्री मगजी, आयु 60 वर्ष,
2. मैनाराम उर्फ ज्ञानाराम पुत्र श्री मगजी, आयु 45 वर्ष,

जातियान् माली, निवासीगण ग्राम देसूरिया विश्नोईयान, तहसील व जिला जोधपुर।

**– : बनाम् : –**

**अप्रार्थीगण :–**

1. डूलाराम पुत्र श्री मगजी, उम्र वर्ष, जाति माली, निवासी– ग्राम देसूरिया विश्नोईयान, तहसील व जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर।

**– : : निर्णय : : –** **दिनांक : 08.05.2026**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

अधिवक्तागण –

1. श्री बाबुलाल गोरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री लादूराम पूनिया व अन्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम देसूरिया विश्नोईयान, पटवारी क्षेत्र कड़वाड़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर तहसील व जिला जोधपुर की सरहद में आयी हुई हैं जिसके खसरा नम्बर 60 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 60/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 60/2 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, किस्म बारानी ए आई हुई है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक व उनके भाईयों नाथूसिंह, पुरखाराम, सतोष सिंह, जसू के नाम दर्ज थी। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या एक व उनके भाईयों के बीच आपसी रहमति से बटवाड़ा होने के कारण तहसीलदार, जोधपुर द्वारा मंजूरी देने पर पटवारी हल्का कड़वाड़ ने दिनांक 03.08.1994 को नामांतरकरण संख्या 114 भरकर श्रीमान् तहसीलदार,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 04.08.1994 को तहसीलदार, जोधपुर ने स्वीकार किया। जिसमें खसरा नं. 60 में प्रार्थी संख्या एक कपूराराम के हक में रकबा 13 बीधा 13 बिस्वा कृषि भूमि एवं अप्रार्थी संख्या एक ढलाराम के हिस्से में खसरा नं. 60 में रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि रखी गई एवं संतोष सिंह के हिस्से में खसरा नं. 60 में रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा रखी गई उसके पश्चात् संतोष सिंह के हिस्से में आया खसरा नं. 60 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि एवं प्रार्थी संख्या 02 गेनाराम के हिस्से की कृषि भूमि का एक्सचेंज डीड दिनांक 14.06.1995 को पंजीबद्ध होने के कारण नामांतरकरण संख्या 119 पंचायत बैठक दिनांक 13.01.1996 को प्रस्ताव संख्या 9 के अनुसार स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नं. 60/2 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार प्रार्थी संख्या 02 गेनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया। जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की खेवट खतौनी संख्या नई 21 पुरानी 19 से स्पष्ट है। इसी प्रकार खसरा नं. 60/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 01 कपूराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की खेवट खतौनी संख्या नई 21 पुरानी 19 पर दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नं. 60 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 की खेवट खतौनी संख्या नई 42 पुरानी 36 पर दर्ज है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक के हिस्से में आये खसरा नं. 60, 60/1, 60/2 का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अलग–अलग खाता में इन्द्राज हो गये परन्तु राजस्व रेकर्ड नक्शा में आज दिन तक खसरा नं. 60, 60/1 व 60/2 की तरमीम नहीं हुई है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 को उपरोक्त खसरान का राजस्व रेकर्ड नक्शा में जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक का एक समान हिस्सा रखते हुए तरमीम करने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड नक्शा में खसरा नं. 60, 60/1, 60/2 का जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर समान हिस्सा रखते हुए तरमीम करने से इंकार कर दिया व कहा कि खसरा नं. 60, 60/1, 60/2 जो जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर आये हुए है अप्रार्थी संख्या एक जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर अपना हिस्सा राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करवायेगा इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि प्रार्थीगण के मकान खसरा नं. 60 की कृषि भूमि में बने हुए हैं तथा मौखिक बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी संख्या दो खसरा नं. 60 के उत्तरी हिस्से में काबिज है तथा प्रार्थी संख्या दो का मकान भी खसरा नं. 60 के उत्तरी हिस्से में बना हुआ है। प्रार्थी संख्या दो को अपने मकान से मुख्य सडक पर आने के लिए प्रार्थी संख्या दो को मुख्य सडक पर राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम होने पर ही आने जाने के लिए रास्ते की सुविधा होगी। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या एक का कब्जा प्रार्थी संख्या दो व अप्रार्थी संख्या एक के कब्जासुद कृषि भूमि के बीच में आया हुआ है तथा प्रार्थी संख्या एक का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

मकान भी अप्रार्थी संख्या एक व प्रार्थी संख्या दो के कब्जे में आई हुई भूमि के बीच में बने हुए हैं। प्रार्थी संख्या एक को जोधपुर से नागौर जाने वाली सडक पर राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं किया तो भविष्य में प्रार्थी संख्या एक को मुख्य सडक पर आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। प्रार्थी संख्या एक को मुख्य सडक पर आने जाने के लिए राजस्व रेकर्ड नक्शा में मुख्य सडक पर हिस्सा दर्शाते हुए तरमीम करना आवश्यक है। इस पर अप्रार्थी संख्या एक ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया व कहा कि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण को जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक पर समान हिस्सा दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नहीं करवायेगा। इस पर अप्रार्थी संख्या एक ने कहां कि वादग्रस्त भूमि का कानूनन राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम नही हुआ है। इसलिये अप्रार्थी संख्या एक का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक इंच पर हिस्सा है। इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक बंटवाड़ा हो रखा हैं तथा बंटवाडे अनुसार प्रार्थीगण पिछले 25 वर्षों से काबिज है। तथा अब कानूनन राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने हेतु तैयार है तथा उसी अनुसार पटवारी हल्का के पास चलकर कानूनन राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करवा लेते हैं। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने कानूनन राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने से साफ इंकार कर दिया व कहा कि आप चाहे तो कानूनी कार्यवाही कर न्यायालय से राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करवा सकते है। इस पर प्रार्थीगण ने गांव व समाज के मौजिज व्यक्तियों को एकत्रित कर पंचायती भी करवाई परन्तु अप्रार्थी संख्या एक कानूनन राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने से साफ इंकार कर दिया। इस पर प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या एक खसरा नं. 60/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, प्रार्थी संख्या दो खसरा नं. 60/2 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या एक खसरा नं. 60 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा पर कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि में जो बंटवाड़े अनुसार आई हुई है। उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में आने जाने के रास्ते हेतु रोक दिया जायेगा तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने तथा प्रार्थीगण का अपने कब्जा व काश्त वाली भूमि में रहवासीय मकान होने तथा प्रार्थीगण अपने रहवासीय मकानों में सपरिवार निवास करने के कारण प्रार्थीगण को अपने घर जरूरत के समान लाने हेतु बाजार जाने तथा प्रार्थीगण को अपने अन्य खातेदारी खेतों में कृषि कार्य करने हेतु तथा प्रार्थीगण के पुत्र–पुत्रियों को विद्यालय में अध्ययन के लिए जाने हेतु प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत के लगते ही मुख्य

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सडक पर आई हुई कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करवाने के अधिकारी होने के आधार पर प्रार्थीगण को यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया है जिसे इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार माना जावे। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी संख्या एक के कब्जा काश्त वाली कृषि भूमि खसरा नं. 60/1 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा प्रार्थी संख्या दो के कब्जा काश्त वाली कृषि भूमि खसरा नं. 60/2 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा को लाल रंग से दर्शाया गया अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे काश्त वाली कृषि भूमि खसरा नं. 60 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा को भूरे रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक काबिज है। नजरी नक्शे के अनुसार ही प्रार्थीगण अपने खसरे नम्बर 60, 60/1, 60/2 राजस्व रेकर्ड नक्शा तरमीम करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्त खसरा नं. 60, 60/1, 60/2 वाली कृषि भूमि जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य रोड पर आई हुई है तथा वर्तमान में मुख्य रोड पर आने वाली भूमियों की कीमतों में बढोतरी होने के कारण अप्रार्थी संख्या एक को लोभ आ जाने के कारण प्रार्थीगण को मुख्य सडक वाली कृषि भूमि से महरूम करने की गर्ज से अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने से इंकार कर रहा है जबकि प्रार्थीगण का पुश्तैनी खातेदारी खेत है तथा प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से लगने वाली मुख्य सडक पर प्रार्थीगण को मुख्य सडक पर आने जाने के लिए रास्ते की भूमि मिलना कानूनन अधिकार है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि के अलावा अन्य किसी की खातेदारी भूमि से रास्ते की भूमि प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के उतर दिशा व पश्चिमी दिशा में सरकारी कार्यालय आये हुए हैं तथा दक्षिणी दिशा में आबादी बसी हुई है जहां से कोई सीधा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में बने रहवासीय मकानों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता जोधपुर से नागौर जाने वाली मुख्य सडक ही है। यदि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण को मुख्य सडक पर लगने वाली कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं करवायेगा तो प्रार्थीगण को अपने रहवासीय मकानों में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। जब प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के खातेदारी खेत खसरा नं. 60, 60/1.60/2 के चिपते ही मुख्य सडक आई हुई है तो प्रार्थीगण को दूसरे के नाम खातेदारी खेतों से आने जाने हेतु रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं है। भविष्य में सरकारी कार्यालयों की भूमियों पर चारदिवारी का निर्माण कर दिया जावेगा तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में आने जाने के लिए जोधपुर से नागौर वाली मुख्य सडक पर ही समान हिस्सों में रास्ते की भूमि को उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत में से मुख्य सड़क

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

जोधपुर से नागौर जाने वाली सडक पर आने जाने के लिये रोका गया तो प्रार्थीगण को अपने रोजमर्रा के कार्य हेतु जाने के लिये महरूम हो जायेंगे उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण को उपयोग व उपभोग करने से रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थी संख्या एक को किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण की नाजायज हरकत को नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसका मौद्रिक मूल्यांकन किया जाना कतई संभव नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित है का डेचान, हस्तांतरण नहीं करें, मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे। प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त एवं रास्ते के उपयोग एवं उपभोग करने से रोके नही एवं जबरन बेदखल नहीं करें एवं उसके उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन अप्रार्थी संख्या एक न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थीगण के हित में हो अता फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया व अन्य ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 प्रफॉर्मा होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

प्रार्थीगण का वाद आधारहीन, बेबुनियाद, गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है। जिसको प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से एवं विवादित भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से माप व सीमांकन के आधार पर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाजन कर लेने से नया वाद कानूनी चलने योग्य नही है एवं निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है तथा यह गलत है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है, जबकि वादग्रस्त भूमि खरीद से प्राप्त हुई सम्पति है। इसपद में प्रार्थी ने मूल ख0न0 60 के बटटा नम्बर में भूमि का वर्णन किया है, परन्तु यह नही बताया है कि यह बटटा नम्बर किस कारण से पड़े है। जबकि उक्त बटटा नम्बर भूमि के बंटवाड़ा करने से बनाये गये है, उक्त मूल ख0न0 60 का आपसी सहमति से खातेदारान ने तहसील जोधपुर के समक्ष जाकर माप व सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा दिनांक 03.08.1994 को कर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

लिया, उक्त खसरा नम्बर 60 प्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से व बंट मे रखा गया तथा अन्य खातेदार नाथूसिंह व संतोक सिंह, जसू को दूसरी भूमि बंटवाड़े में दी गयी। उक्त बंटवाडे मे प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रत्येक के हिस्से मे 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि रखी गयी है तथा जिसके मोके के विभाजन का नक्शा भी तीनो खातेदारान ने स्वीकार कर लिया। जो बंटवाड़ा इकरारनामा पर दर्ज है। उक्त बंटवाडे के आधार पर नामांतकरण संख्या 114 दिनांक 04.08.1994 को स्वीकार किया गया तथा भूमि का लगान भी अलग अलग कर दिया गया है। उक्त विभाजन के बाद तीनो की खातेदारी अलग अलग दर्ज कर दी है तथा विभाजन के बाद मौके पर तीनो खातेदारान अलग अलग माठ सीमा कायम कर खेती कर रहे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड की परिविष्टियो से संबंधित है जिसके जबाब की आवश्यकता नही है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे यह सही है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आयी भूमि की जमाबंदी में अलग अलग खाता इन्द्राज कर दिया गया परन्तु राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 60, 60/1 व 60/2 की तरमीम नही की गयी है, परन्तु विभाजन का नक्शा पक्षकारान ने विभाजन पत्र मे स्वीकार करलिया गया है। इसलिये राजस्व नक्शे मे उक्त खातेदारान द्वारा स्वीकार किये गये नक्शे के अनुसार ही राजस्व नक्शा लटठा में विभाजन दर्शाना होता है जो भू अभिलेख अधिकारी मौके के विभाजन के अनुसार नक्शे मे भी रदोबदल करने मे समक्ष है तथा पक्षकारान द्वारा विभाजन मे स्वीकार किये गये नक्शो के अनुसार ही तरमीम किया जाना आवश्यक है तथा उससे भिन्न किसी प्रकार का कोई नक्शा या तरमीम स्वीकार योग्य नही रहती है। प्रार्थीगण ने इस पद मे यह जानबुझकर गलत लिखा है कि प्रार्थीगण जोधपुर–नागौर मुख्य सड़क पर सम्मान हिस्सा रखते हुए तरमीम करवाने के लिये तैयार है, जबकि विभाजन मे प्राप्त हिस्सा विभाजन इकरारनामें में दर्ज नक्शे अनुसार ही तरमीम हो सकता है। जिस पर खातेदारान की सहमति है तथा आपसी सहमति से इकरारनामे पर मन्जूर किये गये नक्शे से भिन्न तथा मुख्य मार्ग पर पूरा बंटवाड़ा देने की मांग कतई मनमानी एवं विधिविरूद्ध की गयी है जो अनुचित होने से चलने योग्य नही है तथा इस पद मे यह गलत है कि प्रार्थी संख्या 2 का मकान खसरा नम्बर 60 के उतरी हिस्से में बनाया हुआ हो जबकि उतरी हिस्से मे प्रार्थी का कोई भी मकान बना हुआ नही है तथा उसके रास्ते की सुविधा की आवश्यकता होने का भी गलत कथन किया गया है तथा इस पद मे यह भी गलत है कि प्रार्थी संख्या 1 का मकान अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे की भूमि मे आया हुआ हो तथा यह गलत लिखा है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 को मुख्य सड़क पर विभाजन नही दिया गया हो, जबकि विभाजन तीनो को ही सड़क पर लगते दिया गया है। जिसका नक्शा प्रार्थीगण ने विभाजन इकरारनामा मे स्वीकार किया, उसके पश्चात विभाजन स्वीकार किया गया है तथा प्रार्थीगण ने वाद के इस पद में भूमि का मौखिक बंटवाड़ा होने का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

कथन गलत किया है जबकि भूमि का बंटवाड़ा विधि अनुसार आपसी सहमति से तहसीलदार जोधपुर के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किया जा चुका है तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम उक्त बंटवाड़े मे स्वीकार किये गये नक्शे अनुसार ही किया जायेगा जो खातेदारान ने बंटवाडे मे मन्जूर किया है। जिसमे किसी भी प्रकार का परिवर्तन कानूनी नही हो सकता है तथा जब एक बार भूमि का विभाजन हो गया है तब उसका दूबारा विभाजन का वाद कतई कानूनी चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 सर्वथा गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार जी के समक्ष किये गये भूमि विभाजन से पाबंद है तथा तहसीलदारजी के समक्ष भूमि बंटवाड़ा इकरारनामा में अपने अपने हिस्से को उसमे वर्णित नक्शे अनुसार प्राप्त किया है, जिसमें प्रार्थीगण को प्राप्त हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई दखल नही है तथा प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 भी अलग अलग खेती करते है अलग अलग हिस्से प्राप्त किये जो इकरारनामा मे वर्णित नक्शे अनुसार प्राप्त कर रखे है तथा उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसीप्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई प्रथम दृष्टया वादकारण ही उत्पन्न नही होता है तथ प्रार्थीगण का स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने के योग्य है।

प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 सर्वथा मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थीगण का नजरिये नक्शा भूमि विभाजन मे स्वीकार किये गये नक्शे से भिन्न, जानबुझकर, बदनियति से, गलत बनाकर प्रस्तुत किया है तथा उक्त नजरिये नक्शे अनुसार मौके पर कब्जा नही है, नजरिये नक्शा विभाजन मे आपसी सहमति से स्वीकार किये गये नक्शे से भिन्न होने से उसकी कोई अहमियत नही है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आने वाली भूमि का नक्शा आपसी सहमति से तहसीलदारजी के समक्ष वक्त बंटवाड़ा स्वीकार कर अपने अगुष्ठ निशान करके विभाजन प्राप्त किया गया है उसी नक्शे के अनुसार तरमीम की जा सकती है तथा नजरिये नक्शे के अनुसार तरमीम करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी नही है तथा अब प्रार्थीगण के मन मे बदनियति व लालच आने से एवं केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 उतरदाता को हैरान परेशान व खर्चे से जेरबार करने के लिये उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 सर्वथा मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है तथा यह गलत है कि भूमि मुख्य सडक पर आने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को मुख्य सड़क वाली कृषि भूमि से महरूम रखने के लिये प्रस्तावित राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने से इन्कार कर रहा है जबकि राजस्व नक्शे में तरमीम सिरफोसिर्फ तहसीलदार के समक्ष बंटवाडे के समय नक्शे मे जो अपना हिस्से स्वीकार किया उक्त नक्शे अनुसार ही तरमीम की जा सकती हैं उक्त स्वीकार किये नक्शे के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार का दावा नहीं ला सकते है न

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रार्थीगण का दावा चलने योग्य है तथा मुख्य सड़क पर उक्त विभाजन मे प्रार्थीगण ने भी भूमि प्राप्त की है तथा अब केवल अप्रार्थी संख्या 1 को तंग परेशान करने के लिये दूबारा यह भूमि विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है जो कतई चलने योग्य नही है तथा इसपद मे प्रार्थीगण अपने हिस्से के खेत की भूमि के लिये रास्ता नही होने का तथ्य गलत वर्णित किया है जबकि प्रार्थीगण ने भी भूमि सड़क लगती विभाजन मे प्राप्त की है तथा उनके हिस्से मे भी सड़क बराबर लग रही है तथा प्रार्थीगण ने तरमीम का यह झुठा दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 सर्वथा मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर होने से अस्वीकार है तथा इस पद मे प्रार्थीगण ने जोधपुर–नागौर मुख्य सड़क से अप्रार्थी उतरदाता द्वारा प्रार्थीगण को आने जाने से रोके जाने का गलत तथ्य बताया है जबकि प्रार्थीगण का स्वयं का खेत मुख्य सड़क के लगता हुआ है तथा मुख्य सड़क पर खुलता है। इसलिये रोके जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा प्रार्थीगणको किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की भी कोई सम्भावना नही है तथा विवादित भूमि आपसी विभाजन में स्वीकार किये गये नक्शे अनुसार बंटवाडा कर लेने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन का कतई नही बनता है इसके विपरित अप्रार्थी संख्या 1 आपसी विभाजन मे दर्ज नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसीप्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रार्थना के पद संख्या 2 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का विभाजन आपसी सहमति से प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 03.08.1994 को कर लिया था तथा उसमे प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व सहखातेदारान ने आपसी भूमि विभाजन का नक्शा अपने हिस्सों अनुसार स्वीकार कर लिया है, तब से भूमि अलग अलग खातेदारी में तथा मौके पर अलग अलग कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम विभाजन मे स्वीकार किये गये नक्शे अनुसार ही की जा सकती है। जिसके लिये नया तरमीम का दावा कानूनी चलने योग्य नही है तथा प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। वर्ष 2017 में नागोर–जोधपुर रोड़ के चौड़ाकरण/टूलेन मय पेड शोल्डर के निर्माण के लिये भूमि आवाप्त की गयी है, जिसमें प्रतिवादी उतरदाता के हिस्से मे से 0.0783 हैक्टर संबंधित विभाग द्वारा अवाप्ति का नोटिस देकर अवार्ड जारी किया गया है तथा उसी प्रकार उक्त रोड़ के लिये वादी मैनाराम के हिस्से मे से भी 0.0145 हैक्टर भूमि अवाप्ति मे आयी है। जिसका भी मौके पर विभाजन होने के कारण अलग अलग मुआवजे का निर्धारण किया गया है तथा उक्त अवाप्ति के बाद वादीगण की नियत खराब होने से उनके द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 1 उतरदाता को हैरान परेशान करने एवं मुआवजा राशि का अनिश्चित काल के लिये उसको प्राप्त नही होने देने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

एवं लटकाये रखने के लिये वर्तमान वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसको मुआवजा राशि रूकवाने के लिये वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रतिवादी आपसी विभाजन अनुसार प्राप्त अपने हिस्से पर काबिज है एवं उक्त विभाजन के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से पर सैकड़ो में काजरी के बेर के पेड़ (बोरड़ी) लगाकर विकसित किया है, जो उसके कब्जे मे है, इसप्रकार एक काबिज खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण किसीप्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् तथा जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उभयपक्षकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :-

प्रकरण में प्रार्थीगण कपूराराम एवं गेनाराम द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी दलाराम के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद के दौरान प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया गया है कि विवादित कृषि भूमि, जो पूर्व में खसरा संख्या 60 तथा वर्तमान में खसरा संख्या 60, 60/1 एवं 60/2 के रूप में विभाजित है, के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को राजस्व अभिलेख के विपरीत हस्तक्षेप करने, प्रार्थीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने तथा जोधपुर–नागौर मुख्य सड़क पर आने–जाने हेतु आवश्यक मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने से रोका जाए।

प्रार्थीगण का कथन है कि मूल खसरा संख्या 60 का आपसी सहमति से विभाजन किया गया था, परतु राजस्व नक्शे में वास्तविक स्थिति के अनुरूप तरमीम नहीं हुई है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि उनके मकान एवं कृषि भूमि मुख्य सडक से जुडे हुए हैं तथा यदि अप्रार्थी द्वारा मार्ग मे बाधा उत्पन्न की गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर कहा है कि दिनांक 03.08.1994 को सभी खातेदारों की सहमति से विधिवत विभाजन हुआ था, जिसका नामांतरण संख्या 114 दिनांक 04.08.1994 को स्वीकृत किया गया। विभाजन के पश्चात प्रत्येक पक्ष पृथक–पृथक खातेदारी, कब्जा एवं खेती करता आ

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

रहा है। विभाजन के समय स्वीकृत नक्शे के अनुसार प्रत्येक पक्ष को सड़क से लगती भूमि प्राप्त हुई थी। अतः प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हें मार्ग उपलब्ध नहीं है, प्रथम दृष्टया अभिलेखों से समर्थित नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, विभाजन इकरारनामे, नामांतरण आदेश तथा पक्षकारों के तर्कों का अवलोकन करने पर यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि मूल भूमि का विभाजन लगभग वर्ष 1994 में आपसी सहमति से संपन्न हुआ था और उसी आधार पर राजस्व अभिलेखों में पृथक–पृथक प्रविष्टियाँ की गईं। यह भी निर्विवाद है कि विभाजन के पश्चात प्रत्येक पक्ष अपने–अपने हिस्से पर दीर्घकाल से काबिज है। ऐसी स्थिति में वर्तमान विवाद मूलतः राजस्व नक्शे की तरमीम तथा विभाजन के प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रतीत होता है :–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि–

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–**

   अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया अधिकार एवं संरक्षण योग्य दावा विद्यमान हो। प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं प्रार्थीगण ने यह स्वीकार किया है कि भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है और प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह तथ्य पुष्ट होता है कि विभाजन विधिवत स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 विभाजन के विपरीत उनके हिस्से में अतिक्रमण कर रहा है अथवा उनके वैध कब्जे को बलपूर्वक बाधित कर रहा है। विवाद मुख्यतः तरमीम एवं सीमांकन की प्रकृति का है, जिसका अंतिम निर्णय साक्ष्य के आधार पर वाद के निस्तारण के समय किया जाएगा। अतः इस स्तर पर प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट एवं सुदृढ़ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन :–**

   सुविधा के संतुलन की कसौटी पर देखा जाए तो अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि पर लंबे समय से काबिज है तथा उसने अपने हिस्से में बागवानी एवं अन्य विकास कार्य किए हैं। यदि इस स्तर पर उसे अपने कब्जे वाली भूमि के उपयोग से रोका जाता है तो उसे वास्तविक और प्रत्यक्ष हानि होगी। दूसरी ओर प्रार्थीगण का दावा यह है कि राजस्व नक्शे में तरमीम आवश्यक है, जो अंततः सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। यदि प्रार्थीगण वाद में सफल होते हैं तो उपयुक्त राहत उन्हें अंतिम आदेश में प्रदान की जा सकती है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अधिक है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

3. **अपूरणीय क्षति :–**

प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि अस्थायी निषेधाज्ञा न दिए जाने पर उन्हें ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में संभव न हो। विवाद भूमि के सीमांकन, मार्ग एवं कब्जे के स्वरूप से संबंधित है, जिसे अंतिम निर्णय के समय साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यदि प्रार्थीगण का दावा सिद्ध होता है तो उन्हें उपयुक्त स्थायी राहत प्रदान की जा सकती है। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 1 को उसके लंबे समय से चले आ रहे कब्जे एवं उपयोग से रोकना उसके लिए अधिक गंभीर क्षति का कारण होगा। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Dalpat Kumar Vs, Prahlad Singh*** तथा ***Seema Arshad Zaheer Vs. Municipal Corporation of Greater Mumbai*** में प्रतिपादित किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा तभी प्रदान की जा सकती है जब प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों तत्व एक साथ प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हों। इनमें से किसी एक तत्व के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीगण धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तीनों तत्वों को स्थापित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

## : : आदेश : :

***अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।***

सहायक कलक्टर
(मधुलिका सीवर)
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
आर ए एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

***निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।***

सहायक कलक्टर
(मधुलिका सीवर)
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
आर ए एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर